

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1492/2021 लखनऊ::दिनांक सितम्बर,2021

--:आदेश:-

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-6, वाराणसी के पत्रांक-139/2021, दिनांक 01.09.2021 पर सम्यक् विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके कार्यालय में लम्बित निम्नलिखित दूषित अपील को कार्यालय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम सं०	अपील संख्या	फर्म का नाम व पता	क०नि० वर्ष
1.	दू०14/2021	सर्वश्री मॉ कामाख्या इण्टर प्राइजेज लोहियानगर, सैयदराजा चन्दौली	14-15

६०/१/१/२१
(विनय सिंह)

एच०जे०एस०
प्र०अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा०क०अधि०/अ०हस्ता०/ /2021, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-6, वाराणसी।
- 2.सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी।
- 3.असि०कमि०/रा०प्रति० 5/6 वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4.वरिष्ठ सहायक विवरण, मुख्यालय।
- 5.आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 6.वेवअधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा सं
६०/१/१/२१

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।